न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:— 620 / 2025.
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

1. हरदीप सिंह पुत्र जसवीर सिंह } जाति जटसिख निवासीगण ढाबां
2. कुलदीप सिंह पुत्र जसवीर सिंह तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

— वादीगण

बनाम

1. जसवीर सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख नि.ढाबां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया। प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री सुरेन्द्र सिह सूच वकील वादी
श्री संजय साहू — वकील प्रति सं. 1

निर्णय दिनांक :— 16.1.2026

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके निम्नानुसार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण के पिता है। वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र हैं। वादी सं. 01 व वादी सं. 02 सगे भाई हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक नं. 6 बी.जी.पी. ए के जं.सं 2073—2076 के खाता सं. 154 / 36 में 0.506 हैक्टेयर व इसी चक के खाता सं. 37 / 31 में 2.175 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं उक्त खातों की जमाबन्दीयां सलग्न वादपत्र हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक नं. 6 बी.जी.पी. ए के जं.सं. 2073—2076 के खाता सं. 154 / 36 में 0.506 हैक्टेयर व इसी चक के खाता सं. 37 / 31 में 2.175 हेक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं उक्त भूमि जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की विरासतन प्राप्त भूमि हैं। इस भूमि में वादीगण का प्रतिवादी सं. 1 के बराबर बहिब हक व हिस्सा जन्म से बनता हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त भूमि का घरू—बंटवारा कर रखा हैं। वादीगण के हिस्सा में चक नं. 6 बी.जी.पी. ए के जं.सं. 2073—2076 के खाता सं. 37 / 31 में 2.012 हैक्टेयर बहिब कृषि भूमि आई हैं। शेष भूमि प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा में आई हैं। इसलिए वादीगण चक नं. 6 बी.जी.पी. ए के जं.सं. 2073—2076 के खाता सं. 37 / 31 में 2.012 हैक्टेयर बहिब कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी व दावेदार हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कईबार निवेदन किया हैं कि वादीगण को वादपत्र की चरण सं. 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादीगण की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। प्रतिवादी सं. 2. को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादपत्र बाबत घोषणा का हैं जो 2 रूपये के न्याय शुल्क पर पेश हैं व अन्दर मियाद है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

अतः वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावें कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चक नं. 6 बी.जी.पी. ए के ज.सं. 2073–2076 के खाता सं. 37/31 में 2.012 हैक्टेयर कृषि भूमि के वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादी सं. 1 का उक्त खाता से उतना हिस्सा कम किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिरेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी कुलदीप सिह ने अपना शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया। वकील वादी एवं प्रतिवादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ निम्नानुसार चक 6 बीजीपी–ए खाता संख्या 154/36 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076, चक 6 बीजीपी–ए खाता संख्या 37/31 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076, बैयनामा सुखदेव सिह, जसवीर सिह पि.मलनसिह तेजकौर बेवा मलनसिह बहक सुशील कुमार, इन्द्रजीत पि. बृजलाल, बैयनामा कृष्ण कुमार, बलवन्त कुमार पि.दुलीचन्द बहक जसवीर सिह पुत्र मल सिह, बैयनामा सरदार सिह वल्द तोता सिह बहक जसवीर सिह दस्तावेज प्रस्तुत किये। जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 6 बीजीपी–ए खाता संख्या 154/36 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 व चक 6 बीजीपी–ए खाता संख्या 37/31 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में वादग्रस्त कृषि भूमि जवीर सिह पुत्र मल सिह के नाम दर्ज भूमि है जो हमारी जद्दी जायदाद का बैचान कर खरीद की गई भूमि है जिसमें वादीगण का हक–हिस्सा निहित है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है। चक 6 बीजीपी–ए खाता संख्या 37 / 31 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है। प्रतिवादी 1 ने जरिये अधिवक्ता सहमति का जवाब दावा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। वादीगण एवं प्रतिवादी ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति के जवाबदावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– चक 6 बीजीपी–ए खाता संख्या 37 / 31 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से 2.012 हैक्टर भूमि का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाते से प्रतिवादी सं. 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 16.1.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 620 / 2025

1. हरदीप सिंह पुत्र जसवीर सिंह } जाति जटसिख निवासीगण ढाबां
2. कुलदीप सिंह पुत्र जसवीर सिंह तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
– वादीगण

बनाम

1. जसवीर सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख नि.ढाबां तह.संगरिया, जिला हनुमानगढ़
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष बावत इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहजरी श्री सुरेन्द्र कुमार सूद वकील वादी मिन जानिब मुदई श्री संजय साहू वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 6 बीजीपी–ए खाता संख्या 37 / 31 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में प्रतिवादी स. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से 2.012 हैक्टर भूमि का वादीगण को बहैसियत खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाते से प्रतिवादी स. 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट:– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो अदीगी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

खर्चा निज ✗ नल ✗ मुब्लिक ✗ मिल ✗ बाबत ✗ मिल ✗ खर्चा मुकदमें के मय सूद बा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ✗ अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.1.2026 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया